

श्रीमती मनी देवी  
 पति-श. नवल किशोर यादव  
 ग्राम-औरला  
 जगाम

आदि-पत्रक

(सं. 11/20-21) दिनांक 19-03-20

श्रीमती लाल देवि, चेतलाल देवि  
 मुखलाल देवि, जगमन देवि  
 पिता-श. फासु देवि  
 ग्राम-औरला

दिनांक 19-03-20

आदि-पत्रक सं. 11/20-21

आदि-पत्रक सं. 11/20-21

आदि-पत्रक सं. 11/20-21

19-03-20

श्रीमती मनी देवी पति-श. नवल किशोर यादव  
 ग्राम-औरला ने आवेदन पत्र देकर  
 अज्ञेय किता है जो ग्राम औरला के  
 रकबा सं. 36 लॉट सं. 30, 305, 570  
 रकबा 0.56 ए. सु. है। रकबा  
 की है जो पंजी II के प्लॉट सं. 44/2  
 में मोला गोप वैंग के नाम में जमाबंदी  
 काम में है। उक्त सु. का मालिक  
 देवि का पिता श्रीमती लाल देवि,  
 चेतलाल देवि, मुखलाल देवि पिता  
 श. फासु देवि का पिता देवि का  
 पिता श. शंकर देवि का पिता  
 श. शंकर देवि का पिता

राजपूत उध गिरि मंडल के कार्य  
 जांच कर प्रतिवेदन किया है कि  
 रकबा सं. 36 रकबा 0.56 ए. सु.  
 है। रकबा की सु. है पंजी II के  
 प्लॉट सं. 44/2 में मोला गोप वैंग के  
 नाम में जमाबंदी कार्य में लगाने का  
 19-20 तक निर्धारित है। उक्त सु.  
 पर आवेदन है। श्रीमती लाल देवि  
 को उक्त आवेदन को लेकर विवाद है।  
 दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर कार्य  
 की मंजूरी के लिए दिनांक 25-3-20 को

क. वि.

105/1000  
2020-21  
11/2

25-03-20 अशिलने व उपलब्धित / नॉटिशी नामिनी प्रतिवेदन  
यात ही कोरोना चं कायदा न्यायालय का काम  
बाधित है अशिलनेत दिनांक 13-10-20 का  
२२०।

अ. अ.

महाराष्ट्र सरकार या दिवस दिनांक 13-10-20 का  
कोरोना कायदा न्यायालय का काम बाधित है  
अशिलनेत दिनांक 13-10-20 का 220।  
अ. अ.

अंचल अधिकारी का न्यायालय, माण्डू  
आदेश पत्र

विविध वाद सं० - 05/2020-21

श्रीमति मनी देवी बनाम् श्री मोतीलाल बेदिया 05/10/20

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

13.10.20

अभिलेख उपास्थापित। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की गई।

प्रथम पक्ष दिनांक 13.10.2020 को न्यायालय में उपस्थित हो कर मौजा ओरला के खाता सं०- 36 प्लॉट सं०- 30, 35, 570 कुल रकवा- 0.5 ए० भूमि से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कागजात एवं राजस्व उप निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा ओरला के खाता सं०- 36 सर्वे खतियान में धुजा अहिर वगै० कौम अहिर के नाम से रैयती दर्ज है। पंजी II के पृ० सं०- 44/1 में भोला गोप वगैरह के नाम से रकवा- 0.56 ए० भूमि की जामबंदी दर्ज है, लगान वर्ष 19-20 तक वसूल है।

द्वितीय पक्ष के श्री मोतीलाल बेदिया, चेतलाल बेदिया, मुखलाल बेदिया का कहना है कि मौजा ओरला के खाता सं०- 36 प्लॉट सं०- 30, 305, 370 रकवा- 0.56 ए० से हमलोगों का कोई लेना देना नहीं है। प्लॉट सं०- 305 में पूर्व से जो रास्ता सी०सी०एल० द्वारा अधिग्रहित कर बनाया है, उसे मापी कर निकाल दिया जाये, परन्तु अधिग्रहित भूमि से संबंधित कोई कागजात द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए नापी नहीं किया जा सकता है। प्रथम पक्ष का दावा सही है, अभिलेख पर आगे की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

अंचल अधिकारी  
माण्डू